View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by CMFRI Digital Repository

मत्स्यगंधा

2007

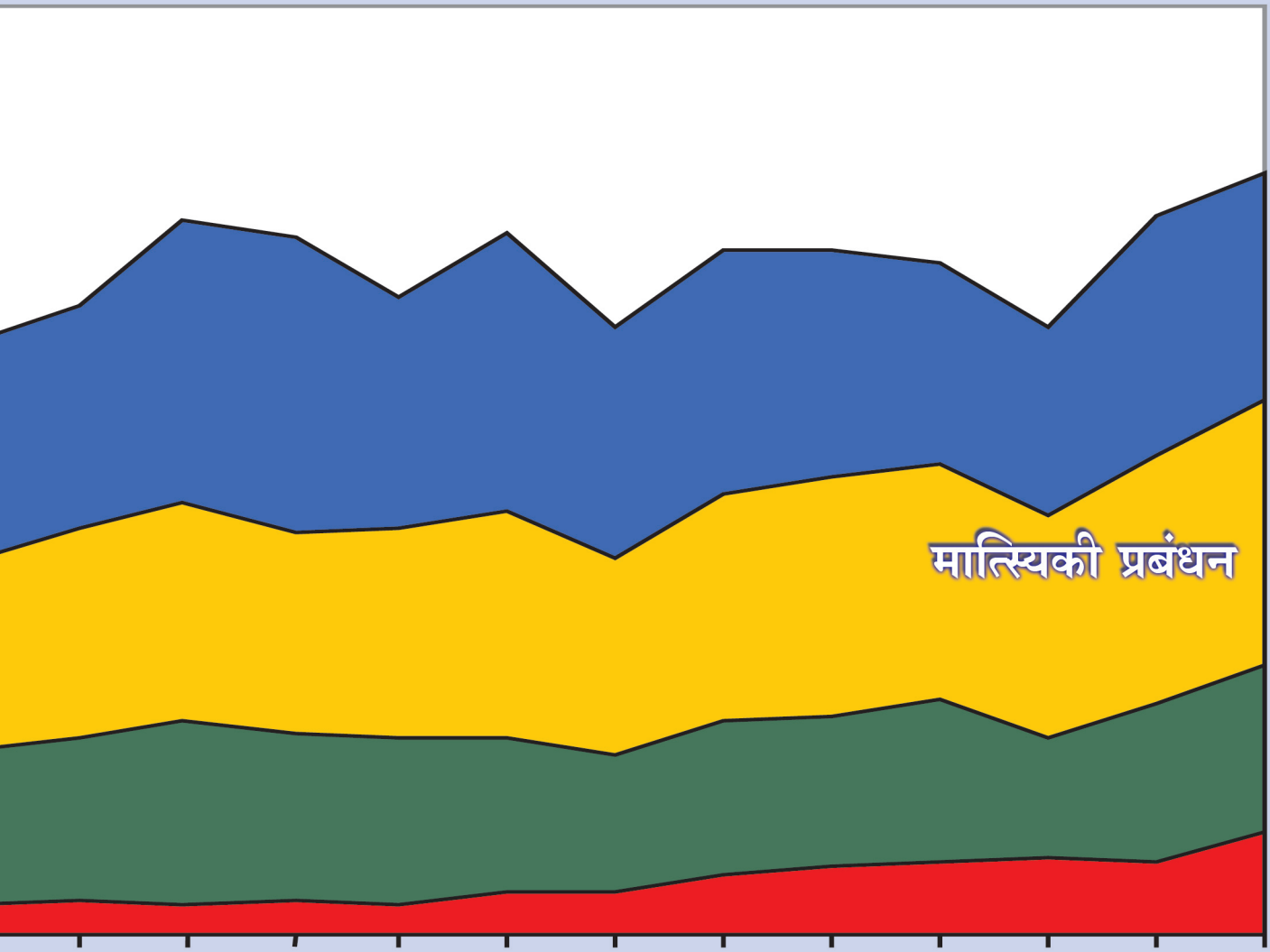

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोची 682 018

मात्स्यिकी प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका

शीला इम्मानुएल, आर. नारायणकुमार और जी. सैदा रावु
सी एम एफ आर आइ का विशाखपट्टणम क्षेत्रीय केंद्र, विशाखपट्टणम, आंध्रप्रदेश

मात्स्यिकी संपदाएं हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं में प्रमुख है जो तटीय मछुआरों को आजीविका प्रदान करती है और भारत की अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं। समुद्र विभिन्न संपदाओं का खुला खजाना है और हर एक व्यक्ति का समुद्र से मत्स्यन करने का हक है। मात्स्यिकी के क्षेत्र में महिलाएं परोक्ष और कर्म प्रधान भूमिका निभाती हैं। विभिन्न सामाजिक और मानसिक कारणों से मत्स्यन के लिए वे समुद्र में नहीं जाती हैं। समुद्र में लंबा समय बीतना, घर से बाहर रहना, समुद्र के मुश्किल वातावरण का सहन करना, शारीरिक बाधाएं, सामाजिक प्रतिबंध, परंपरागत संस्कृति, समुद्र में कम सुरक्षा आदि इन में कुछ घटक हैं। ये सारी बाधाएं होने पर भी महिलाएं मात्स्यिकी से दूर नहीं रहती हैं और तट पर आधारित मात्स्यिकी से संबंधित कार्यों में अत्यंत सजीव रूप से भाग लेती रहती हैं। पिछले कुछ दशकों से लेकर महिलाएं मात्स्यिकी की गतिविधियों में लगी हुई हैं फिर भी उनकी कार्यविधियों की झलक इस क्षेत्र में व्यक्त नहीं करायी जाती है। अधिक लोग यह सोचते हैं कि सक्रिय मत्स्यन में जुडी न होने के कारण मात्स्यिकी प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका कहीं दिखती नहीं है। लेकिन मात्स्यिकी के संबंध में यह सही नहीं है क्योंकि केवल तटीय संपदाओं के प्रसंग में प्रबंधन आवश्यक होता है बल्कि विपणन, परिवहन, सूखना, संसाधन, भंडारण और मूल्य वर्धन जैसे सभी घटकों में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय है। इन घटकों की श्रृंखला में किसी एक कडी प्रभावित होने पर पूरे मात्स्यिकी क्षेत्र में असंतुलन होता है।

पत्रव्यवहार : शीला इम्मानुएल, वरिष्ठ वैज्ञानिक
सी एम एफ आर आइ का विशाखपट्टणम
क्षेत्रीय केंद्र, ओशियन व्यू लेआउट,
पांडुरंगपुरम, विशाखपट्टणम - 530003,
आंध्रा प्रदेश

मात्स्यिकी प्रबंधन की आवश्यकता

मात्स्यिकी प्रबंधन में लगातार प्रयास, जो संपदाओं का टिकाऊपन कायम रखने के लिए केंद्रित है, की आवश्यकता है। टिकाऊ आधार पर मत्स्यन किया जाना चाहिए ताकि संपदाओं का न केवल अतिविदोहन होता है बल्कि किशोरों की पकड से संपदा विनाश भी नहीं हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मत्स्यन तटीय पर्यावरण पर विनाश नहीं डालने की तरह आवास अनुकूल तथा तटीय प्रदूषण रहित होना चाहिए। तटीय संपदाएं सबके लिए होने की वजह से प्रबंधन विनियम सरकार तथा मछुआरा दोनों की तरफ से सहभागिता आधार पर रूपाइत किया जाना चाहिए। अगर संपदाओं की बढ़ावा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया जाता है तो, अविवेकपूर्ण विदोहन से संपदाओं की अवनति और इस वजह से पकड में पर्याप्त घटती भी महसूस हो जाएगी। अगर समायोजित और सुसज्जित प्रबंधन उपायों का कार्यान्वयन नहीं किया जाएं तो मछुआरा लोगों को अपनी आजीविका नष्ट हो जाएगी और उनके परिवार में गरीबी होने की साध्यताएं ज़्यादा है। वास्तव में, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं गरीबी से पीडित होने के कारण उनको गरीबी का कष्ट झेलना पडता है। महिलाएं और जल संपदा प्रबंधन की गतिविधियों जैसे सिंचाई, मात्स्यिकी और आवास संरक्षण के बीच के संबंध पर

ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अगर टिकाऊ विकास प्राप्त करना है तो इस के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं के अनुभव और ज्ञान पर साकल्यवादी रूप से विचार किया जाना चाहिए (दैहदराय, 2005) संपदा प्रबंधन में महिला-पुरुष लिंग के आधार पर संवेदनशीलता के बिना योजना रूपाइत करने पर महिलाओं, उनके परिवार तथा समुदाय पर ही इसका बुरा असर पड जाएगा।

प्रग्रहण मात्स्यिकी प्रबंधन में महिलाएं

महिलाएं, गृहकार्य, खाना बनाना, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न कार्यविधियों के अलावा आय कमाने की कार्यविधियों में लगी हुई हैं और इसलिए यह कहा जा सकता है कि महिलाएं अच्छे प्रबंधकार हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाएं अधिक घंटे काम करती हैं, देर से सो जाती हैं और जल्दी उठ जाती भी हैं। परिवार का कल्याण महिला के हाथों में है और परिवार की सफलता महिला की क्षमता में है। महिला परिवार की जरूरत के अनुसार आय का न्यायपूर्वक खर्च और संपदाओं का क्षमतापूर्वक उपयोग करती है। किसी भी विकास की आधारभूत इकाई परिवार है इसी लिए किसी भी प्रबंध उपायों की शुरूआत परिवार से ही होनी चाहिए। महिलाओं को प्रमुखता होने वाले परिवारों में, पूरे परिवार सदस्यों का उत्तरदायित्व उसके कंधों पर है और वह परिवार की सभी जरूरियों की पूर्ति करती है। अगर निर्णय लेने का अधिकार महिला को प्रदान किया जाता है तो वह संपदाओं का प्रबंधन भी अच्छी तरह करेगी क्योंकि निर्णय लेना योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रारंभिक कदम है। लेकिन अब, राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक निर्णय लेने में महिलाओं की सहभागिता बहुत कम दिखायी पडती है (अज्ञात, 2008) अगर महिलाएं योजना के कार्यों में लगी होती हैं तो प्रबंधन कार्यों में उनकी क्षमता बढ़ जाएगी ताकि सशक्तीकरण में सहायक हो जाएगा। मात्स्यिकी में महिलाओं की सामूहिक सहभागिता समय की आवश्यकता है क्योंकि संघों द्वारा जागरूकता का विकास, आयोजन क्षमता, कार्रवाइयों का विकास तथा परिवर्तन संभव होता है। महिलाओं की सहभागिता से समाज सभी लोगों की जरूरियों के लिए जिम्मेदार हो जाएगा।

प्राकृतिक संपदाएं किसी भी देश की समृद्ध और नवीकरणीय संपदाएं हैं और समाज के निम्न स्तर के लोग अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः प्राकृतिक संपदाओं पर निर्भर रहते हैं। महिलाओं और मात्स्यिकी प्रबंधन के बीच का संबंध सुस्पष्ट है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। मात्स्यिकी में, संग्रहणोत्तर कार्यविधियों जैसे विपणन (1,50,000), जाल निर्माण/मरम्मत (28,000), विशल्कन (67,000), श्रमकार्य (67,231) और अन्य कार्य (33,000), जो समुद्री खाद्य निर्यात में महत्वपूर्ण होते हैं (सेन्सस, सी एम एफ आर आइ, 2005) में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं, वे निर्यात उद्योग के आधार-स्तंभ होने के नाते हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनका स्थान उल्लेखनीय है। कोहली (2001) के अनुसार मछली संसाधन उद्योग में अगर महिलाएं कुछ दिनों के लिए उपस्थित नहीं होती है तो भारत का लगभग एक बिलियन अमरीकी डोलर का निर्यात उद्योग अस्तव्यस्त हो जाएगा क्योंकि समूचे संसाधन एककों में मछली/चिंगट लाने के बाद अंतिम उत्पाद बन जाने तक सभी कार्यविधियों महिलाएं ही करती हैं। मछली संसाधन पर्यावरण के लिए नकारात्मक संघात, कम अपशिष्ट, अपशिष्ट का उचित निकास करने लायक और मछली की गुणवत्ता स्थिर रखने लायक किया जाना चाहिए। इस प्रकार मछली प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका और भी बढ़ जाती है।

संग्रहणोत्तर कार्यविधियों का परिमाण सिर्फ संग्रहण पूर्व कार्यों पर निर्भर होता है अतः महिलाओं के रोज़गार का तटीय संपदाओं के संग्रहण की गतिकी पर सीधा संबंध है। उनके रोज़गार का स्तर मछली पकड के अनुपात पर भी निर्भर होता है। अगर प्राकृतिक प्रभव से पकड कम होता है तो महिलाओं के जीवन पर इसका असर पड जाएगा। उनका आय तुरंत घट जाएगा और कुछ दिनों बाद उनको रोज़गार भी नष्ट होने की अवस्था का सामना करना पडेगा। परिवार में पुरुष के आय का

सहारा होने की वज़ह से महिलाओं का आय शून्य से कभी नहीं शुरू होता है, बल्कि पुरुष पहली बार कमाने के कारण उनकी कमाई शून्य से शुरू होती है। महिला परिवार के आय का अनुपूरक है और उनके आय में अगर कोई घटती होती है तो इसका असर घरेलू अर्थव्यवस्था पर पडेगा और उनके आय-व्यय व्यवस्था में टकराव होने की संभावना है। अगर निकट के तटीय स्थानों की संपदाओं में कमी होती है तो पुरुष को संपदाओं की खोज में दूर जाना पडेगा, तब पूरे परिवार के उत्तरदायित्व घरवाली के कंधों पर होगा। आजीविका और खाद्य सुरक्षा सबसे प्रमुख समस्याएं हैं और इस के पश्चात गरीबी का भी सामना करना पडेगा। अतः एक बार संपदाओं का उचित प्रबंधन किया जाएं तो समाज को भी इसके प्रत्याघात से बचाया जा सकता है।

पालन मात्स्यिकी प्रबंधन में महिलाएं

जलकृषि तेज़ बढ़नेवाला उद्योग है और पिछले कुछ दशकों से लेकर इस उद्योग का औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत आकलित किया गया है। जलकृषि में सब से अधिक उत्पादक क्षेत्र एशिया है जहाँ कुल भौगोलिक उत्पादन का 85.8 प्रतिशत जलकृषि से प्राप्त होता है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार, वर्ष 1990-1996 के दौरान मछली पालन से उत्पादन दुगुना हो गया है और वर्ष 2010 में वर्तमान 26 मिलियन टन से 39 मिलियन तक बढ़ जाने की प्रत्याशा है। पालन मात्स्यिकी में महिलाओं की सहभागिता पहले सीमांत था लेकिन बाद में इस स्थिति में परिवर्तन होने लगा। जैसा कि नन्दीशा (2004) ने सूचित किया है, आज कई विकासात्मक मामलों में लिंग का मामला सब से प्रमुख माना जाता है। जलकृषि के क्षेत्र में भी यह मामला महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में है। योजना, निर्णय लेना और संपदा प्रबंधन और नियंत्रण के कार्यों में महिलाएं पुरुष के साथ ही कार्यरत हैं। एशिया और दक्षिण एशिया में जलकृषि महिलाओं तक विकसित की गयी है ताकि महिलाएं संपदा प्रबंधन कार्यों में सक्षम भी होने लगी हैं (राज्यलक्ष्मी, 2005) महिलाएं घर के पिछवाडे के मिट्टी के कुंडों में झींगा/मछली पालन तथा प्रबंधन खुद कर सकती हैं। समुद्र कृषि महिलाओं के रोज़गार के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है और पालन गतिविधियाँ अपनाए जाने से वे अपनी आमदनी इकट्ठा कर सकती हैं। प्राकृतिक स्थानों से किशोरों का संग्रहण करके पालन के लिए उपयुक्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ खाद्य शुक्ति/शंबु, मुक्ता शुक्ति के स्पैट तथा केकडा, झींगा और अन्य मछलियों के संतति। अगर महिलाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दिए जाएं तो मछुआरों के सहारे से वे पालन कार्यों का अच्छा प्रबंधन कर सकती हैं। टूटिकोरिन में मछुआरे केकड़ों के संततियों का संग्रहण करते हैं और उनको महिलाओं द्वारा सिमेन्ट के विभिन्न टैंकों में वाणिज्यिक आकार तक पालन किया जाता है। इस प्रकार किशोर केकडों की उपयोगिता से संपदा का प्रबंधन किया जा रहा है। अवतरण केंद्र के निकट के कई स्थानों में महिलाएं इस तरह के पालन कार्य कर सकती हैं।

जलकृषि और मात्स्यिकी से जुडी हुई कई आर्थिक गतिविधियों में भी महिलाएं कार्यरत हैं और कई स्थानों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक सम्मानयोग्य समझा जाता है (ब्राउन, 2001)। थाय और फिलिप्पीना जैसे दक्षिण-पूर्व एशियन देशों में स्फुटनशाला के परिचालन कार्यों में महिलाएं उल्लेखनीय भूमिका निभाती रहती हैं। इस प्रकार लाटिन अमरीका, अर्जन्टीना, ब्रसील, इक्वडोर और पनामा जैसे देशों में भी स्फुटनशाला के परिचालन कार्यों में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता दृश्यमान है। उनकी सहभागिता का परिमाण देश देश में भिन्न होने पर भी उनका सक्रिय योगदान स्वीकार्य हो चुका है।

मात्स्यिकी प्रबंधन में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के उपाय

1. मछली संसाधन, गुण वर्धित उत्पादों की तैयारी या निर्यात विपणन जैसे लघु पैमाने के उत्पादन उद्यमों में महिला संघों का रूपायन किया जाना चाहिए ताकि संपदाओं के

अधिकतम उपयोगिता और वास्तविक मूल्य निर्धारण साध्य हो जाएंगे।

2. महिलाओं को सामूहिक कार्यविधियों में नेता के स्थान लेने लायक सशक्त बनाना चाहिए और उनको उद्यमिता पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे भागीदारी मात्स्यिकी प्रबंधन में अपना योगदान दे सकती हैं।

3. प्राकृतिक संपदाओं को अवनति से संरक्षित करने के लिए मात्स्यिकी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर महिलाओं को अवगत कराया जाना चाहिए।

4. संपदा प्रबंधन में पर्यावरण सुरक्षा उपाय भी प्रमुख हैं। इसलिए महिलाओं को प्रदूषण के संघात और मैंग्रोव, प्रवाल तथा समुद्र तालों के नाश से होने वाली विपत्तियों पर अवगत कराया जाना चाहिए।

5. मछलियों का संग्रहणोत्तर नाश कम करने और मछली की गुणता का अनुरक्षण करने के द्वारा बहुविध आजीविका रणनीति का पालन करने के लिए तटीय गाँवों में सूर्यतपन यार्ड, विशल्कन शेड और कोल्ड स्टोरेज जैसे भौतिक पूंजी संपत्तियों की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

6. महिलाओं को चालू सामाजिक मान, सांस्कृतिक प्रतिबंधों और उनके अवसरों पर बाधा होने वाले परिरक्षणात्मक विचारों और आर्थिक संपदाओं और कार्यविधियों को ग्रहण करने पर प्रकाश डालना चाहिए।

मत्स्यन, सरकार द्वारा रूपाइत नियम व नियम को मान लेते हुए अत्यंत दूरदर्शिता से किया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संपदा कभी समाप्त नहीं हो जाएगी। आगामी पीढ़ी को भी मछली का उपयोग करने के लिए टिकाऊपन का अनुरक्षण करना आवश्यक है। उत्पादन की पूर्ति के लिए पर्यावरण को किसी प्रकार का नाश करने के बिना जलकृषि करने का प्रोत्साहन देना चाहिए। देश के समूची आबादी के भरण-पोषण के लिए संपदाओं से समुद्र का पुनर्भरण करने लायक मत्स्यन करना समय की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द/Keywords
शरीरिक बाधाएं - physical barriers
सामाजिक प्रतिबंध - social taboos
आवास अनुकूल - eco friendly
न्यायपूर्वक प्रबंधन - judicious management
विशल्कन - peeling
उद्यमिता - enterpreneurship
बहुविध आजीविका रणनीति - diversified livelihood strategy
भौतिक पूंजी संपत्ति - physical capital assets
पर्यावरणीय विपत्तियाँ - environmental hazards
पुनर्भरण करना - replenish